संचिका सं0--10/कोर्ट 17-05/2012 14-79 (10)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

कलिगाँव, दरभंगा में प्रस्तावित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण हेतु दान की सुयोग्य भूमि का चयन हेतु निदेशार्थ श्री अजीत कुमार झा, द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–10932/12 में दिनांक 29.06.2012 को पारित न्यायादेश से याचिका के अनुलग्नक–8 को शीघ्र निष्पादित करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी को दिया गया है ।

न्यायादेश के आलोक में स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया गया । संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । न्यायादेश में याचिका के संदर्भित अनुलग्नक–8 के अवलोकनोपरांत पाया गया कि श्री विजय कुमार झा, पुत्र स्व0 विश्वनाथ झा एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा जिला समाहर्त्ता, दरभंगा को दिया गया अभ्यावेदन है ।

उक्त अभ्यावेदन में बतलाया गया है कि श्री सुशील कुमार झा, पुत्र स्व0 नंद किशोर झा द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु दान की प्रस्तावित भूमि 75 डी0 (17 कट्ठा) है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के समीप कलीगाँव भरवारा मुख्य पथ के किनारे स्थित है जो बाढ़ मुक्त भी है जबकि श्री विजय कुमार झा, पुत्र स्व0 योगेन्द्र झा द्वारा दान की प्रस्तावित भूमि निची भूमि है, मुख्य सड़क के किनारे भी अवस्थित नहीं है और अधिकांश समय जलप्लावित रहता है । अतएव उक्त अभ्यावेदन से श्री सुशील कुमार झा की भूमि को उपयुक्त बतलाते हुए उसी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराने का अनुरोध किया गया है ।

अभ्यावेदन के अवलोकन से पाया गया कि श्री सुशील कुमार झा एवं श्री विजय कुमार झा द्वारा प्रस्तावित दान की भूमि का अभ्यावेदन में दिया गया तुलनात्मक विवरण सामान्य बिन्दुओं पर नहीं है । जैसे कि विजय कुमार झा की प्रस्तावित भूमि कितनी है, किसी सड़क पर स्थित है या नहीं है, आदि । इस तरह प्रथम द्रष्टव्या परिलक्षित होता है कि अभ्यावेदन में दिया गया विवरण एक पक्षीय है ।

परिणामतः संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार द्वारा एतद् संबंधी जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । जाँच प्रतिवेदन में श्री सुशील कुमार झा द्वारा दिये जाने वाले भूमि और श्री विजय कुमार झा द्वारा दिये गये भूमि का तुलनात्मक विवरण दिया गया है । इससे स्पष्ट है कि श्री सुशील कुमार झा द्वारा भूमि दान किया जाना प्रस्तावित मात्र है जबकि श्री विजय कुमार झा द्वारा भूमि महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम से निबंधित किया जा चुका है । साथ ही, यथा प्रतिवेदन, श्री सुशील कुमार झा की भूमि यद्यपि 75 डिसमिल है और भरवाड़ा कलिगाँव मुख्य पथ पर स्थित है फिर भी उस जमीन का 3 (तीन) फरीक और सड़क से 3.5 फीट निची पाया गया है । इसके विनिस्पत श्री विजय कुमार झा की जमीन मात्र

46 डिसमिल होने और ग्रामीण सड़क पर स्थित होने के बावजूद उसका एक फरीक होने, सड़क से मात्र एक फुट निची पाया गया है । उक्त जमीन संप्रति निजी मकान में कार्यरत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, के समीप भी स्थित है ।

उपर्युक्त आधारों पर श्री सुशील कुमार झा द्वारा दान हेतु प्रस्तावित जमीन से श्री विजय कुमार झा द्वारा दान में दी गई जमीन, जहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का शिलान्यास भी किया जा चुका है, कतई अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता एवं श्री विजय कुमार झा द्वारा दान में दी गई जमीन का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु किया गया चयन सर्वथा उपयुक्त है ।

उपर्युक्त के आधार पर न्याय निर्णय में संदर्भित श्री विजय कुमार झा एवं अन्य द्वारा दिये गये अभ्यावेदन (अनुलग्नक-8) को तथा श्री अजीत कुमार झा द्वारा एतद् संबंधी दिये गये अभ्यावेदन को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के आलोक में एतद् द्वारा निष्पादित किया जाता है ।

सभी संबंधित पक्षों एवं सिविल सर्जन, दरभंगा को सूचित करें ।

22/1/13

(व्यास जी)
सरकार के प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 1479(10) पटना, दिनांक- 23-1-13

प्रतिलिपि सिविल सर्जन, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/1/13

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 1479(10) पटना, दिनांक- 23-1-13

प्रतिलिपि-(1) श्री अजीत कुमार झा, पिता-स्व0 यदुवीर झा, कलिगांव, सिंहवाड़ा, दरभंगा/ (2) सुशील कुमार झा, पिता-श्री नंद किशोर झा, ग्राम-कलिगांव, प्रखंड-सिंहवाड़ा, दरभंगा एवं (3) विजय कुमार झा, पिता-स्व0 योगेन्द्र झा, गांव कलिगांव, पो0-सिंहवाड़ा, जिला-दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/1/13

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 1479(10) पटना, दिनांक 23-1-13

प्रतिलिपि:-स्टैंडिंग कॉंसिल-10, महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

22/1/13

सरकार के संयुक्त सचिव ।

I Dip-10 A Letter.doc